

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

प0कः-6(54)राजस्व-6/2001पार्ट 110

जयपुर,दिनांक:- 1.5.2007

समस्त संभागीय आयुक्त,
राज0।
समस्त जिला कलेक्टर,
राज0।

परिपत्र

विषय:-राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ
संपरिवर्तन) नियम, 1961 के निरसित नियम के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्व में परिपत्र क्रमांक
6 (54)राज-6/01/पार्ट दि0 15.7.04 जारी करके यह निर्देश दिये थे कि
उपरोक्त नियम दि0 5.3.03 को निरसित किये जा चुके है इसलिए निरसित
नियमों के पश्चात् इन नियमों में विचाराधीन प्रकरण तथा नये प्रकरणों में
कार्यवाही अब स्थानीय निकायों द्वारा की जावेगी। लेकिन कुछ जिला कलेक्टर
द्वारा इस संबंध में अभी भी मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियमों
के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरणों में कार्यवाही राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956
की धारा 90-बी के अन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय निकायों के लिए अधिसूचित
अधिकृत अधिकारी द्वारा ही की जावेगी।

आज्ञा से

शासन/उप सचिव 1.5.07

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.वि0 सहायक, मा0 राजस्व मंत्री जी।
- 2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
- 3.निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
- 4.निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
- 5.समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।

शासन/उप सचिव 1.5.07